

# नगर परिषद, चुरु

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHURU/FIRENOC/2024-25/47471  
जारी दिनांक: 03-FEB-2026 वैधता दिनांक: 02-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: DEEPAK PUROHIT PRINCIPAL  
आवेदक का पता: LAKSHMIPAT SINGHANIA ACADEMY RANASAR.

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन LAKSHMIPAT SINGHANIA ACADEMY., 00, BALRASAR TANWARAN, BALRASAR TANWARAN SH CHURU JHUNJHUN.,, CHURU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति की वैधता अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व विधिवत ऑनलाईन अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्स्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है। तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का प्राधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर फायर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. भवन में आपातकालीन निकास (फायर एग्जिट) व अन्य सभी प्रकार के साईन बोर्ड जो कि अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते को इंगित (दर्शाता) करने होंगे जो सहज ही देखने योग्य हो।
13. भवन में बाहर निकलने के समस्त रास्ते एवं जीना/स्टेयर को अवरोध मुक्त रखने होंगे, तथा रास्तों में आपात रोशनी व्यवस्था, फायर प्रिवेंशन/प्रोटेक्शन एवं लाईफ सेप्टी भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 में उपबंधित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित रखनी होगी।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. भूमि व भवन संबंधित किसी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. नगर परिषद् के समस्त दायित्वों का भुगतान करते हुए नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
17. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।



*Deepak Purohit*

Principal

Lakshmipat Singhania Academy  
Balrasar Tanwaran Ranasar, Churu  
Affiliation No. 1730296

Signed by: Abhilasha Singh  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: CHURU, Rajasthan  
Date: 03/02/2026 18:36:51

अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, चुरु